राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, तल–5, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष : 0141–5192265, 5192261 E-mail: modelschoolest@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / मॉडल स्कूल–संचालन / स्कूल बैंड प्रतियोगिता–222–1 / पार्ट–4 / दिनांक : As per Rajkaj

बैण्ड प्रतियोगिता दिशा–निर्देश : सत्र 2025–26

1. परिचयः–

- स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आपसी सामन्जस्य के आधार पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। उक्त संदर्भ में राजस्थान में बैंड प्रतियोगिता के संपादन तथा नेशनल एवं जोनल लेवल बैंड प्रतियोगिता में राज्य के प्रतिनिधित्व हेतु राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता आयोजित की जानी है जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई, एनवीएस, केवीएस, सैनिक स्कूल, बीएसईआर, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय सहित राज्य में संचालित समस्त विद्यालयों की सहभागिता रहेगी। पीएबी सत्र 2025–26 में बैण्ड प्रतियोगिता हेतु राशि 5.00 लाख एक मुश्त स्वीकृत किये गये है।
- राज्य में आयोजित बैंड प्रतियोगिता की नोडल ऐजेन्सी मॉडल स्कूल प्रकोष्ठ, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर रहेगी जिसका राज्य में संचालित सीबीएसई, आईसीएसई, केवीएस, एनवीएस, सैनिक स्कूल, बीएसईआर–अजमेर तथा माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर से पूर्ण सामन्जस्य रहेगा।

2. प्रतियोगिता में भाग लेने की श्रेणियाँ :–

- बैंड प्रतियोगिता निम्नलिखित 04 श्रेणियों में आयोजित की जायेगी :–
  1. ब्रास बैंड बालिका वर्ग।
  2. ब्रास बैंड बालक वर्ग।
  3. पाईप बैंड बालिका वर्ग (Cymbal-झांझ मंजीरा को शामिल नहीं किया जायेगा)
  4. पाईप बैंड बालक वर्ग (Cymbal-झांझ मंजीरा को शामिल नहीं किया जायेगा)
- उपरोक्त बैंड प्रतियोगिता की श्रेणियों में से विद्यालय से अधिकतम एक बैंड टीम प्रति श्रेणी भाग ले सकेगी।

3. प्रतियोगिता के विभिन्न स्तर :–

3.1 राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता तीन स्तरों पर आयोजित की जायेगी जिसमें बिन्दु संख्या–2 के अनुसार 04 श्रेणियाँ होगी :–

स्तर–1:– विद्यालय स्तर –प्रत्येक सम्बन्धित विद्यालय द्वारा आयोजित की जायेगी।

स्तर–2:– जिला स्तर –

- राज्य के समस्त जिलों में स्थित विद्यालयों यथा–सीबीएसई, आईसीएसई, केवीएस, एनवीएस, सैनिक स्कूल, बीएसईआर, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय एवं जिले में संचालित समस्त विद्यालयों की सहभागिता रहेगी।

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.06.24 0?:18:12 IST
Reason: Approved

- जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता को भव्य बनाये जाने हेतु भामाशाह/दानदाता का सहयोग लिया जाये ।
- जिला स्तर पर बैण्ड प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम आयोजित स्थल पर पंजीकरण शुल्क के रूप में प्रति बैंड टीम 1500 रुपये जमा करवायेगी। यह राशि विद्यालय के गतिविधि मद से दी जायेगी।
- जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में छात्र वर्ग की प्रतियोगिता छात्र वर्ग के साथ एवं छात्रा वर्ग की प्रतियोगिता छात्रा वर्ग के साथ ही आयोजित की जायेगी।
- जिला स्तर पर छात्र व छात्रा वर्ग की अलग–अलग 04 विजेता टीम घोषित की जाएगी।
- जिला स्तर पर विजेता छात्र/छात्रा की टीम राज्य स्तर पर आयोजित बैण्ड प्रतियोगिता में भाग लेगी।
- जिला स्तर पर आयोजित होने वाले बैण्ड प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तर से कोई राशि का प्रावधान नहीं है।
- जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता का समस्त व्यय प्रतिभागी विद्यालयों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- जिला स्तर पर विजेता टीम (राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय विद्यालय) स्वयं के जिले में गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय मुख्य समारोह में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक से समन्वय स्थापित कर भाग लेना सुनिश्चित करें। विजेता बैंड टीम के आवागमन का व्यय जिला एमएमईआर मद से व्यय किया जा सकेगा।

(नोटः–जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता मेजबान संस्था प्रधान, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सम्बन्धित जिला एवं प्रतियोगिता हेतु नियुक्त निर्णायक मण्डल का यह दायित्व है कि वह जिला स्तर पर विजेता टीमों का निर्णयन करने के साथ–साथ राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता हेतु केवल उसी बैंड टीम का चयन करें जो निर्धारित मापदण्डों का पूर्ण रूप से पालन करती हो, जिला स्तर पर विजेता टीम बैंड प्रतियोगिता के राष्ट्रीय मापदण्डों को पूर्ण नहीं करती है तो उक्त टीम को जिला स्तर पर विजेता रहने पर भी राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता में सम्मिलित करने हेतु राज्य कार्यालय को स्कोरिंग शीट एवं विडियों भेजकर बैंड टीम का पूर्व आंकलन आवश्यक रूप से कराया जाये।)

स्तर–3:– राज्य स्तर – जिलों की बैंड प्रतियोगिता की विजेता टीमें (प्रत्येक श्रेणी में एक बैंड टीम) जो राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता के निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करती हो, राज्य स्तर पर भाग लेंगी।

- राज्य स्तरीय बैण्ड प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम आयोजित स्थल पर पंजीकरण फीस के रूप में विद्यालय 2000 रुपये प्रति टीम जमा करवायेंगे। यह राशि विद्यालय के द्वारा उनके गतिविधि मद से दी जायेगी।
- प्रत्येक श्रेणी में छात्र/छात्रा वर्ग की अलग–अलग प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी तथा श्रेणीवार छात्र एवं छात्रा वर्ग में अलग–अलग विजेता घोषित किये जायेंगे।
- राज्य स्तरीय बैण्ड प्रतियोगिता हेतु संबंधित जिलों से भाग लेने वाली राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय विद्यालयों की विजेता बैंड टीम के आवागमन का व्यय जिला एमएमईआर मद से व्यय किया जा सकेगा एवं अन्य विद्यालयों की जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता विजेता टीमें उक्त खर्चे का स्वयं वहन करेंगे।
- राज्य स्तर पर विजेता टीम (राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय विद्यालय) गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में भाग लेना सुनिश्चित करें। विजेता बैंड टीम के आवागमन का व्यय जिला एमएमईआर मद से व्यय किया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.05.24 0?:18:12 IST
Reason: Approved

3.2 राज्य स्तर बैंड प्रतियोगिता में विजेता टीमें (प्रत्येक श्रेणी में एक बैंड टीम) जोनल स्तर बैंड प्रतियोगिता में भाग लेंगी।
3.3 जोनल लेवल बैंड प्रतियोगिता में विजेता टीमें (प्रत्येक श्रेणी में एक बैंड टीम) राष्ट्रीय स्तर बैंड प्रतियोगिता में भाग लेंगी।

4. पात्रता :–

4.1 बैंड प्रतियोगिता राज्य में स्थित सभी प्रकार के विद्यालयों के लिए खुली है।
4.2 कोई भी व्यावसायिक बैंड समूह/कलाकार को विद्यालय द्वारा भेजी गई बैंड टीम का हिस्सा बनाना प्रतिबन्धित है।

5. बैंड सदस्य :–

5.1 प्रत्येक बैंड में ड्रम मैनेजर के साथ 25 से 33 सहभागी होने चाहिए।
5.2 प्रत्येक बैंड में बैंड मास्टर/प्रशिक्षक सहित केवल 02 एस्कोर्ट को शामिल किया जा सकता है।

6. बैंड समूह :–

6.1 बैंड समूह में पाईप बैंड और ब्रास बैंड शामिल होने चाहिए।
6.2 बैंड समूह में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है :–

1. पाईप –12
2. साईड ड्रम –08
3. टेनर ड्रम – 02
4. ब्रास ड्रम – 01
5. कन्डक्टर (लीडर स्टिक) – 01

7. बैंड वादन का विषय (थीम) :–

7.1 बैंड वादन का विषय आवश्यक रूप से राष्ट्र भक्ति आधारित होना चाहिए।

8. बैंड वादन का धुन (ट्यून) :–

8.1 राष्ट्र भक्ति, शास्त्रीय, लोक गीत आधारित कोई भी धुन।
8.2 बैंड प्रस्तुतीकरण के समय राष्ट्रगान की धुन को बजाना **पूर्णतया निषेध** है।

9. बैनर एवं अन्य दस्तावेज :–

9.1 बैंड समूह बैंड प्रस्तुतीकरण के समय बैनर एवं अन्य दस्तावेज, चाकू, खूखरी और झंडा आदि का उपयोग नहीं करेंगे।

10. बैंड पोशाक :–

10.1 बैंड प्रस्तुतीकरण के समय बैंड पोशाक पहनना अनिवार्य है।

11. समय सीमा :–

11.1 बैंड प्रस्तुतीकरण के लिए प्रत्येक बैंड समूह को अधिकतम **10–15 मिनट** का समय मिलेगा।

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.05.24 09:18:12 IST
Reason: Approved

12. निर्णायक मंडल :–

12.1 जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतियोगता स्थल पर निर्णायक मण्डल के रूप में पुलिस / पैरा मिलिट्री फोर्सेस / सेना के अधिकारी / कार्मिक तथा एक शिक्षा अधिकारी संवर्ग से होंगे।

12.2 राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के निर्णायक दल में कम से कम तीन सदस्य होने अनिवार्य है तथा जिनमें दो सदस्य पुलिस / पैरा मिलिट्री फोर्सेस / सेना के अधिकारी / कार्मिक तथा एक शिक्षा अधिकारी संवर्ग से होंगे।

12.3 निर्णायक मंडल द्वारा पारित निर्णय निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए जिस पर भाग लेने वाले जिले, मेजबान पक्ष में एकतरफा निर्णय करने का आक्षेप ना लगाये।

12.4 निर्णायक मंडल को अपने द्वारा पारित निर्णय में पूर्ण पारदर्शिता का पालन करना चाहिए तथा निर्णायक मंडल के सदस्य विभिन्न बैंड समूहों द्वारा बैंड प्रस्तुतीकरण के समय एक स्थान पर ना बैठकर आवश्यक रूप से अलग–अलग स्थानों पर बैठकर बैंड प्रस्तुतीकरण का आंकलन करना होगा।

12.5 निर्णायक मंडल का निर्णय आवश्यक रूप से अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा एवं उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई भी अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13. बैंड प्रस्तुतीकरण के निर्णयन के समय निम्नलिखित तथ्य ध्यान में रखे जायेंगे (निर्णायक मंडल द्वारा) :–

1. बैंड मास्टर / मेजर और बैंड के सदस्यों की भाव भंगिमा, पोशाक, गणवेश, बालों की शैली (हैयर स्टाईल), बैंड उपकरणों की साज–सज्जा।
2. बजाई जा रही धुन, संगीत एवं बैंड संरचना।
3. मार्च पास्ट के दौरान स्टाम्पिंग हील एवं हैंड स्वींग की लय बद्धता, तारतम्यता एवं एकरूपता।
4. एन्ट्री पास्ट के दौरान स्टाम्पिंग हील एवं हैंड स्वींग की लय बद्धता, तारतम्यता एवं एकरूपता।
5. प्रदर्शन क्षेत्र में स्टाम्पिंग हील की सटीकता।
6. प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रदर्शित बैंड संरचना।
7. बैंड का प्रस्तुतीकरण।
8. समय सीमा।

प्रस्तुतीकरण क्षेत्र 60 X 40 फीट के आकार में होगा।

14. मूल्यांकन का आधार :–

14.1 अंक निर्धारण :–

S.No.	Items	Marks
1	Dress and equipment (Instruments)	15
2	Marches : **(a)** Quick March – 15 Marks **(b)** Slow March – 5 Marks	20
3	Formation	20
4	Standard of Playing – (Quality of Tunes)	20
5	Presentation	15
6	Timely completion of the performance	10
	Total	**100**

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.05.24 0?:18:12 IST
Reason: Approved

15. **प्रतिवेदन :–**

15.1 **विद्यालय स्तर** :–समस्त संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर बैंड प्रतियोगिता का आयोजन करके सम्बन्धित प्रतिवेदन एवं अपने विद्यालय से जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बैंड टीम की सूची **(परिशिष्ठ–1)** मय दस्तावेज जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता के आयोजक संस्था प्रधान को आवश्यक रूप से जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता की आयोजन तिथि से 05 दिन पूर्व उपलब्ध करवायेंगे एवं उक्त की एक प्रतिलिपि एडीपीसी कार्यालय सम्बन्धित जिले को भी आवश्यक रूप से भेजेंगे।

(परिशिष्ठ–1)

विद्यालय का नाम –
यू.डाईज कोड –
एस्कोर्ट / अध्यापक का नाम एवं मोबाईल नं. – (1) ....
(2) ....

बैंड की श्रेणी –

प्रतिभागियों की सूची :–

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	बालक / बालिका

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

15.2 **जिला स्तर** :– अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सम्बन्धित जिला द्वारा जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता का प्रतिवेदन एवं अपने जिले से राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता में भाग लेने वाली विजेता बैंड टीमों की सूची **(परिशिष्ठ–2)** मय दस्तावेज, अंकतालिका एवं जिला स्तरीय विजेता बैंड टीम के बैंड प्रस्तुतीकरण के विडियो एवं फोटोग्राफ नोडल अधिकारी, स्टेट बैंड प्रतियोगिता को जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता आयोजन के 03 दिवस के अन्दर भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता की आयोजन समिति निम्नानुसार रहेगी :–

क्र.सं.	अधिकारी	पद
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	समन्वयक
3	आयोजक संस्था प्रधान	सदस्य सचिव
4	02 शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी (सीडीईओ द्वारा नामित)	सदस्य

(परिशिष्ठ–2)

जिला का नाम –
विद्यालय का नाम –
यू.डाईज कोड –
एस्कोर्ट / अध्यापक का नाम एवं मोबाईल नं. – (1) ....
(2) ....

बैंड की श्रेणी –

Signature valid
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.05.24 0?:18:12 IST
Reason: Approved

प्रतिभागियों की सूची :—

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	बालक / बालिका

मेजबान संस्था प्रधान के हस्ताक्षर   एडीपीसी के हस्ताक्षर   सीडीईओ के हस्ताक्षर

15.3 **राज्य स्तर :—** राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रतियोगिता आयोजन के पश्चात आयोजक जिले के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा नोडल अधिकारी, स्टेट बैंड प्रतियोगिता को जोनल स्तरीय बैंड प्रतियोगिता में भाग लेने वाली विजेता बैंड टीमों की सूची **(परिशिष्ठ–3)** मय दस्तावेज 03 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता की आयोजन समिति निम्नानुसार रहेगी :—

क्र.सं.	अधिकारी	पद
1	प्रतिनिधि, मॉडल स्कूल प्रकोष्ठ, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर	राज्य नोडल अधिकारी
2	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक	अध्यक्ष
3	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	समन्वयक
4	आयोजक संस्था प्रधान	सदस्य सचिव
5	02 शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी (सीडीईओ द्वारा नामित)	सदस्य

(परिशिष्ठ–3)

राज्य का नाम —

विद्यालय का नाम —

यू.डाईज कोड —

एस्कोर्ट / अध्यापक का नाम एवं मोबाईल नं. — (1) ....

(2) ....

बैंड की श्रेणी —

प्रतिभागियों की सूची :—

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	बालक / बालिका

मेजबान संस्था प्रधान के हस्ताक्षर   एडीपीसी के हस्ताक्षर   सीडीईओ के हस्ताक्षर

16. पंजीकरण :—

परिशिष्ठ–4 पर संलग्न पंजीकरण प्रपत्र को बैंड प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालयों के संस्था प्रधानों को आवश्यक रूप से भरना होगा तथा जिला, राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता के मेजबान संस्था प्रधान एवं एडीपीसी के साथ–साथ राज्य कार्यालय को प्रतियोगिता आयोजन से 07 दिवस पूर्व आवश्यक रूप से ईमेल करना होगा।

Signature valid
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.05.24 0?:18:12 IST
Reason: Approved

(परिशिष्ठ–4)

विद्यालय का नाम –
यू.डाईज कोड –
विद्यालय का पता –
जिला का नाम –
राज्य का नाम –
टेलीफोन नम्बर –
संस्था प्रधान का नाम एवं मोबाईल नं. –
एस्कोर्ट/अध्यापक का नाम एवं मोबाईल नं. – (1) ....
(2) ....

बैंड की श्रेणी –
प्रतिभागियों की संख्या –
प्रतिभागियों का वर्ग (बालक/बालका) –
प्रतिभागियों की सूची :–

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	बालक/बालिका

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

17. बैंड प्रतियोगिता हेतु व्यय विवरण : 2025–26

क्र.सं.	प्रतियोगिता स्तर	व्यय हेतु उपलब्ध राशि रूपये में	वि.वि.	समय सीमा
1.	जिला स्तर	–	–	सितम्बर, 2025
2.	राज्य स्तर	2.00 Lakh Rs. उक्त राशि के साथ–साथ राज्य स्तर पर भाग लेने वाली प्रति बैंड टीम पंजीयन शुल्क 2000 रुपये की राशि भी सम्मिलित होगी।	अल्पहार, भोजन एवं आवास हेतु	राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता 2025–26 के दिशा निर्देशानुसार।
3.	राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय विद्यालयों से में छात्र व छात्रा वर्ग में ब्रास एवं पाईप बैंड विजेता टीम	1.00 Lakh Rs.	राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय विद्यालयों से राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता में छात्र व छात्रा वर्ग से विजेता टीमों को जोनल व राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पौशाक एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए	
5	राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय विद्यालयों को जोनल प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु।	2.00 Lakh Rs.	यदि आबंटित राशि (2.00 लाख रुपये) से अधिक व्यय होने पर अतिरिक्त व्यय राशि एमएमईआर मद से ली जा सकती है।	
कुल राशि रू 5,00,000/–				

Signature valid
Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation : State Project Director
Date: 2025.05.24 0?:18:12 IST
Reason: Approved

18. **लेखा संबंधी बिन्दु :–**

1. उक्त राशि का व्यय जी.एफ. एंड ए.आर. के नियमानुसार कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।
2. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जावे।
3. राशि का व्यय योजना के दिशा–निर्देश एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पूर्व पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. उक्त राशि का व्यय वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2025–26 की पीएबी में स्वीकृत अनुसार मद 3.1.3 से किया जायेगा।

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर, पाली, जयपुर, जोधपुर, चूरू, भरतपुर, कोटा, उदयपुर एवं अजमेर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले को भेजकर लेख है कि सीबीएसई, आईसीएसई, एनवीएस, केवीएस, सैनिक स्कूल, बीएसईआर, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय एवं जिले में संचालित समस्त विद्यालयों को उक्त दिशा–निर्देश भेजकर जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता में उनकी शत–प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करावें।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।
10. संस्था प्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय, समस्त ब्लॉक।
11. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.05.24 09:18:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15502288